

# FORM No. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

लय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

सुरभी देवी बनाम इन्दिरा देवी वगैरे  
 मुकदमा नं० 18 सन् 2018

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
1/8	<p>वकील वादीगण/वादी श्री <u>द्वारका प्रसाद सैनी</u> ने हाजिर अदालत होकर वादपत्र पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण की तलवी जरिए सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक <u>23.02.2018</u> को पेश हो।</p>	<p>469-20 23-1-18</p>
12	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलगण फरिफ्त <u>इन्द्रसूता</u> पा                      उप./अभिलेखित पीठारीन अधिकारी वारे                      /वाच कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम                      कार्यवाही हेतु दिनांक <u>20/3/18</u>                      को पेश हो।</p>	
	<p>20/03/18                      पत्रावली पेश हुई। वकूलगण फरिफ्त                      उप./अभिलेखित पीठारीन अधिकारी वारे                      /वाच कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम                      कार्यवाही हेतु दिनांक <u>26-04-18</u>                      को पेश हो।</p>	
	<p>26/04/18                      पत्रावली पेश हुई। वकूलगण फरिफ्त                      उप./अभिलेखित पीठारीन अधिकारी वारे                      /वाच कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम                      कार्यवाही हेतु दिनांक <u>29-06-18</u>                      को पेश हो।</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अहक हुक्म में :
२७ <sup>०६</sup> / <sub>१८</sub>	<p>पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपठे द्वारा २०१८ के तहत फोलोअप कैंम्प खरवेला में पेडा (क) वापिसा ने एउ ५० पर पेडा कर निवेदन किया कि वापिसा प्रकरण को और आगे नहीं चलाना चाहिए। अतः ५० पर सीडीए कर वापिसा विद्वां किये जाने की अनुमति प्रदान करें। वापिसा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पर स्वीकार किया जाकर तदनुसार कार्य विद्वां किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः कार्यवाही प्रकरण को तत्पर पर क्लोजर की जाती है। पत्रावली के तहत सुमाद लोक नम्बर से काम हो तथा बाद तत्काल वापिसा प्रकरण हो। निर्णय मजमे आम बुनाया गया।</p>	

*(Handwritten signature)*